

नोटिस पंजीकृत

दिनांक: __/__/2020

प्रेषक- _____ पुत्र _____ निवासी _____।

- प्रेषितगण-
1. प्रथम प्रेषितगण नाम, पद / पदनाम, पूरा पता
 2. दूसरा प्रेषितगण नाम, पद / पदनाम, पूरा पता

महोदय,

1- हस्व हिदायत अपने मुवक्कील _____ पुत्र श्री _____, _____ द्वारा उपलब्ध करायी जानकारी पर आपको निम्न नोटिस प्रेषित किया जा रहा है:

2- यह कि मेरा मुवक्कील अपनी पुत्री के उज्ज्वल भविष्य की इच्छा रखते हुये अपनी पुत्री _____ को विदेश भेजना चाहता था। इसी दौरान मेरे मुवक्कील के रिश्तेदार _____ पुत्र _____ से सम्पर्क होने पर उसके द्वारा बताया कि मैं, _____ (प्रेषिती संख्या -1) व अन्य साथी के साथ _____ में वीजा कन्सलटेन्ट का काम करते है और लोगो को विदेश भिजवाते है और _____ ने मेरे मुवक्कील की मुलाकात आप प्रेषिती से _____ में करवायी गयी।

3- यह कि आपके द्वारा मेरे मुवक्कील की पुत्री को विदेश भिजवाने का आश्वासन देकर मेरे मुवक्कील से विभिन्न तिथियों में धनराशि प्राप्त की गयी, किन्तु कोई न कोई बहाना बनाकर लगातार मेरे मुवक्कील को टालने के उपरान्त भी मेरे मुवक्कील की पुत्री को विदेश नहीं भिजवाया गया, जिस पर मेरे मुवक्कील द्वारा आप प्रेषिती व _____ को दी गयी धनराशि वापिस करने की बात कही गयी।

4- यह कि आप प्रेषिती व _____ द्वारा मेरे मुवक्कील से प्राप्त की गयी धनराशि के मध्ये आंशिक धनराशि की अदायगी के लिये "इण्डसईन्ड बैंक की शाखा आवास _____ में " _____ वीजा कन्सलटेन्ट " के नाम से संचालित खाता संख्या _____ में से एकाउन्ट पेयी चैक संख्या _____ दिनांकित __/__/2020 मुव0-____/- रूपये (_____) का आप प्रेषिती संख्या -1 द्वारा फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरी की हैसियत से अपने हस्ताक्षर से मेरे मुवक्कील के नाम से जारी किया गया और चैक का भुगतान बैंक के जरिये प्राप्त करने की बात कही गयी।

5- यह कि आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त चैक को आपके कहे अनुसार भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर दिनांक __/__/2020 एवं दिनांक __/__/2020 को चैक को अनादरित कर बिना

भुगतान वापिस कर दिया गया , जिस पर आप प्रेषिती संख्या -1 एवं _____ से सम्पर्क करने पर आपके द्वारा आर्थिक परेशानी की बात कहते हुये उपरोक्त चैक को दिनांक ___/___/2020 के बाद कभी भी पुनः भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर अपने खाते से चैक का भुगतान करवाने का आश्वासन दिया गया।

6- यह कि आपके द्वारा दिये गये उपरोक्त चैक को आपके कहे अनुसार भुगतान प्राप्त हेतु मेरे मुवक्किल द्वारा अपनी पुत्री _____ के साथ संयुक्त रूप से "भारतीय स्टेट बैंक" की कृषि विकास शाखा _____ में संचालित खाता संख्या _____ में प्रस्तुत किया गया।

7- यह कि उपरोक्त चैक का समाशोधन करने के उपरांत उपरोक्त चैक को "भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा _____ द्वारा बिना भुगतान के वापिस कर दिया गया , जिसके साथ में "भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा _____ जिला _____ का चैक वापिसी मैमो दिनांकित ___/___/2020 मूल रूप से संलग्न था , जिसमें उपरोक्त चैक को अनादरित करने का कारण "Funds Insufficient" उल्लेखित किया गया था । यह कि आप प्रेषिती संख्या -1 एवं आपके सहयोगी _____ द्वारा प्रारम्भ से ही मेरे मुवक्किल के साथ धोखाधड़ी करने का उद्देश्य रखते हुये उसकी पुत्री को विदेश भेजने का प्रोत्साहन देकर मेरे मुवक्किल से रुपये लेकर, टाल - मटोल करने बाद यह जानते हुये कि आपकी फर्म के खाते में पर्याप्त रुपये नहीं है और चैक का भुगतान नहीं हो पायेगा, फिर भी मेरे मुवक्किल का पैसा हड़पने की नीयत रखते हुये उपरोक्त चैक अपने हस्ताक्षर से मेरे मुवक्किल के नाम से जारी किया गया, और चैक अनादरित हो जाने पर समय प्राप्त करते हुये भुगतान करवाने का आश्वासन देने के बावजूद भी चैक का भुगतान सुनिश्चित नहीं करवाया गया, जिस कारण उपरोक्त चैक की धनराशि का भुगतान आज दिन तक मेरे मुवक्किल को प्राप्त नहीं हो पाया है। आपका उक्त कृत्य धोखा - धड़ी पूर्ण एवं अपराधिक कृत्य है।

अतएव आपको इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता हैं कि आप इस नोटिस प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त चैक संख्या ___/___/2020 की धनराशि मुवलिग _____/- रुपये (_____) एवं नोटिस व्यय 5,000/-रुपये का भुगतान मेरे मुवक्किल को कर देवे, अन्यथा बाद गुजरने मियाद नोटिस मेरा मुवक्किल आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र एवं बाध्य होगा , जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

भवदीय,

(एडवोकेट पारूल)